



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EP 737516



विक्रय-पत्र

बिक्री 93,12,666 / मालियत 95,58,000 / ई-स्टाम्प 6,69,300 /
लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण: - + 506000 / + 35,400 /

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - नवाबगंज
3. ग्राम - मौथरी

(वीकोड 1057 पेज नं 35)

सि. अ. शर्मा

द. लाल

द. शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EP 737517

- (2)
- | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------|
| 4. | सम्पत्ति का विवरण नं० | — | 31 |
| 5. | मापन की इकाई | — | हे० |
| 6. | क्षेत्रफल | — | 0.589 हे० |
| 7. | सड़क की स्थिति | — | कुछ नहीं |

16/2/2019



डॉ. लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CT 583393

- (3)
8. अन्य - 0 से 200 मी० की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि
9. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि भूमि

श्री. लोहायड

होटे लाल

Shri



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CT 583394

- (4)
10. पेडों का मूल्यांकन - कुछ नहीं
11. बोरिंग कुआं व अन्य - कुछ नहीं

मि० लीला प्र०

होटे लाल

ॐ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 583392


- (5)
12. सरकारी दर - 4,500 / - प्रतिवर्गमीटर व
1,45,00,000 / प्रति हे०
13. प्रतिफल की धनराशि - 93,12,666 / -

कि० 2 मे 2019

दो० लाल

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 583163

(6)


14. चौहददी :-

पूरब नाली बादहू गाटा संख्या 35 व 36 व 37 पश्चिम भूमि
मालती व भूमि सहखातेदार राजेन्द्र उत्तर भूमि गाटा
संख्या 28 व 29 व 30 दक्षिण चकमार्ग।




दुर्लाल


सिंह लोचन



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 583164

प्रथम पक्ष संख्या 2
विक्रेता का विवरण

1. रमेश 2. छोटेलाल पुत्रगण
प्यारेलाल निवासीगण-म0सं0
71 सरायखासी, सरायखास
तहसील फतेहपुर जिला जिला
बाराबंकी।
पेशा-अन्य
1.आ0का0सं0-8521 4180 4089
2.आ0का0सं0-5613 2820 2759
मो0नं0-

रमेश 2. छोटेलाल

(7)

द्वितीय पक्ष संख्या 1
क्रेता का विवरण

मैक्स मेराइकल बिल्डकेयर
एल0एल0पी0 एस0 798
एल्लिको II उद्यान आर0डी0रोड
लखनऊ
द्वारा डायरेक्टर संजय कुमार
शुक्ला पुत्र हरिशर्मा शुक्ला
निवासी-192 न्यू कालोनी
चौगुंजी जिला इटावा।
आ0का0सं0-5601 0074 2572
पैन-ABJFM1870A
मो0नं0-9690018155

रमेश
छोटेलाल

शुक्ला



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 583165

(8)


--लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरणः--

हम 1.रमेश 2.छोटेलाल पुत्रगण प्यारेलाल निवासीगण-म0सं0
71 सरायखासी, सरायखास तहसील फतेहपुर जिला जिला
बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व मैक्स मेराइकल बिल्डकेयर
एल0एल0पी0 एस0 798 एल्डिको II उद्यान आर0डी0रोड
लखनऊ द्वारा डायरेक्टर संजय कुमार शुक्ला पुत्र हरिशर्मा
शुक्ला निवासी-192 न्यू कालोनी चौगुंजी जिला इटावा द्वितीय
पक्ष क्रेता।

(Signature)

छोटेलाल

नि08<4/5/2019



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 583358

(9)

हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं। एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जो कि हम प्रथम पक्ष गाटा संख्या 31 रकबा 1.178हे0 स्थित ग्राम मोथरी परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी जिसके प्रथम पक्ष 1/2 भाग का पूर्णतया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व है कोई अन्य व्यक्ति प्रथम पक्ष की भूमि में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः हम प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी के अपने 1/2 भाग अर्थात 0.589हे0 भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 93,12,666/- तिरान्बे लाख बारह हजार छः सौ छछठ रूपया जिसके आधे 46,56,333/- छियालिस लाख छप्पन हजार तीन सौ तैतीस रूपया होते हैं,---

क्रि० २०२१/२४

होटे लाल

22/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 421422

(10)

के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य में से मु0 5,00,000 / रूपये जरिये चेक संख्या-372194 व मु0 10,00,000 / रूपये जरिये आर0टी0जी0एस0 रमेश व मु0 10,00,000 / रूपये जरिये चेक संख्या 372192 व मु0 10,00,000 / रूपये आर0टी0जी0एस0 छोटेलाल व मु0 26,56,333 / रूपये जरिये संख्या 372212 दिनांकित 15.12.2019 इण्डसंड बैंक शाखा अशोक मार्ग लखनऊ छोटेलाल व मु0 31,56,333 / रूपये जरिये चेक संख्या 372213 दिनांकित 30.12.2019 इण्डसंड बैंक शाखा अशोक मार्ग लखनऊ रमेश इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका था।---

कि & रमेश

दीर्घ भाष



(5)

अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः बिक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने अपने ही समान द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या उसके किसी वारिसान या किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध बिक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है जो चाहे करे। बिक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल बिक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके बाद उसके वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। बिक्रीत भूमि किसी सड़क या खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। बिक्रीत भूमि में पेड़ व बोरिंग व कुआँ व कोई निर्माण नहीं है। विदित हो कि बिक्रीत भूमि का इकरारनामा बय दिनांक 28.11.2018 बही संख्या 1 जिल्द संख्या 11824 पृष्ठ संख्या 121 से 148 क्रमांक 20873 पर को किया गया है। जिसमें इकरारनामा सकब्जा होने के कारण समस्त स्टाम्प धनराशि पूर्व में ही दी जा चुकी है। बिक्रीत भूमि की 0 से 200 मी० त्रिज्या में कोई व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधि नहीं है परन्तु 0 से 100 मी० की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि विद्यमान है। बिक्रीत भूमि प्रथम पक्ष की पुरतैनी सम्पत्ति है। बिक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है।—

Dr. Ramesh

हरि लाल

Dr. Ramesh




(12)

विक्रीत भूमि में से 500 वर्गमीटर की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 4,500/प्रतिवर्गमीटर की दर से मु0 22,50,000/-रूपया होती है व शेष विक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 1,45,00,000/- प्रति हे0 की दर से मालियत मु0 78,15,500/- रूपया होती है इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत मु0 1,00,66,000/- रूपया होती है। जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या सो0वि0क0नि0-5-2756/11-2008- 500(165) /2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अर्न्तगत मु0 7,04,800/-रूपये का स्टाम्प में से मु0 6,69,500/-/ रूपये के स्टाम्प उल्लिखित इकरारनामा दिनांक 28.11.2018 के समय तथा शेष मु 35,500/-रूपये के जनरल स्टाम्प अदा किया जा चुका है चौहद्दी :- पूरब नाली बादहू गाटा संख्या 35 व 36 व 37 पश्चिम भूमि मालती व भूमि सहखातेदार राजेन्द्र उत्तर भूमि गाटा संख्या 28 व 29 व 30 दक्षिण चकमार्ग। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार व अन्तरण विलेख से सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है, के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। ---

दोह माता

5/11/18



(7)
तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये
गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है।

दिनांक 18.03.2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



गवाह नं०-1 अभिनाश तिवारी पुत्र बैकुण्ड तिवारी
निवासी वार्ड सं० 6 शाक्तिनगर कसया, कस्बा
कुशीनगर।
पेशा-अन्य
आ०का०सं०-9270 8991 2542
मो०-7800532211
[Handwritten signature]



गवाह नं०-2 अहमद नवी खा पुत्र स्व० महमूदुल
नवी खा निवासी-फ्लैट नम्बर 202 ताहा
अपार्टमेन्ट तृतीय तल बारूद खाना गोलागंज
लखनऊ
पेशा-वकालत
आ०का०सं०-6772 8921 5240
मो०-9415514080
[Handwritten signature]

मसविदाकर्ता
[Handwritten signature]
महेन्द्र कुमार यादव
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, बाराबंकी।

()

बूजरी-नक्शा



स्थित ग्राम :- सायरी

बिक्रीत खसरा नं० :- 31

विक्रेता :- श्री २१-५१-२११५

क्रेता :- रवि प्रकाश शर्मा

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का विवरण—



विक्रेता
श्री २१-५१-२११५

रवि प्रकाश शर्मा

श्री २१-५१-२११५
क्रेता



आवेदन सं०: 201900898007217

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12113 के पृष्ठ 273 से 300 तक क्रमांक
5461 पर दिनांक 18/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


धर्मेन्द्र कुमार चौधरी
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
18/03/2019